भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1871

जिसका उत्तर गुरुवार, 17 मार्च, 2022 को दिया जाना है

व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक विवादों का निपटान

1871 श्री सुजीत कुमारः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि कथित तौर पर वाणिज्यिक विवादों का समयबद्ध तरीके से निपटान नहीं किया जाता है, जिससे व्यापार करने में सुगमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान देश में विभिन्न अदालतों में कुल कितने वाणिज्यिक विवाद लंबित हैं ;

(घ) क्या सरकार ने व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक विवादों का समयबद्ध तरीके से निपटान सुनुश्चित करने के लिए कोई उपाय किए हैं ; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : पिछले तीन वर्ष के दौरान विभिन्न वाणिज्यिक न्यायालयों में लम्बित वाणिज्यिक विवादों की कुल संख्या उपाबंध में है । कारबार करने में सुगमता ढांचे को सुधारने के भाग के रूप में, न्याय विभाग ने संविदा प्रवर्तन व्यवस्था को त्वरित और मजबूत बनाने का प्रयास किया है । वाणिज्यिक विवादों के समयपूर्ण निपटारे को

सुनिश्चित करने तथा कारबार करने में सुगमता के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय निम्नानुसार हैं :

i. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 जिसे जिला स्तर पर एक वाणिज्यिक न्यायालय तथा सभी उच्च न्यायालयों में एक वाणिज्यिक प्रभाग की स्थापना करने के लिए 2018 में और संशोधित किया गया था जिससे वाणिज्यिक विवादों का अधिक तेज समाधान संवर्धित किया जा सके । कई राज्यों में अभिहित वाणिज्यिक न्यायालयों को समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय से बदल दिया गया है जिससे वे अधिक त्वरित समाधान को समर्थ करने के लिए अनन्य रूप से वाणिज्यिक विवाद निपटा सकें । इन वाणिज्यिक न्यायालयों की धनीय अधिकारिता उनके कार्यकरण को कारगर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए से घटाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है ।

ii. 23 उच्च न्यायालयों में अवसंरचना परियोजनाओं से संबंधित विवादों की सुनवाई के लिए अभिहित विशेष न्यायालय गठित किए गए हैं । इनमें से कुछ न्यायालयों को अवसंरचना परियोजना संविदाओं से संबंधित विवादों की सुनवाई के लिए किसी सप्ताह/महिने में समर्पित दिन आबंटित किए गए हैं ।

iii. उच्च मूल्य वाणिज्यिक विवादों अर्थात् 500 करोड़ रुपए से अधिक को निपटाने के लिए दिल्ली, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, इलाहाबाद, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, सिक्किम, पटना और मद्रास उच्च न्यायालयों में विशेष वाणिज्यिक खंडपीठें गठित की हैं । बम्बई और दिल्ली उच्च न्यायालयों ने 100 करोड़ रुपए से अधिक के उच्च मूल्य वाणिज्यिक विवादों को निपटाने के लिए खंडपीठों का गठन किया है ।

iv. सरकार ने इन न्यायालयों द्वारा निपटारे के मामले में लिए गए समय की प्रभावी मानीटरी करने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय (सांख्यिकी डाटा) नियम, 2018 भी अधिसूचित किए हैं ।

v. वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018 उन मामलों में जहां कोई अत्यावश्यक अन्तरिम अनुतोष नहीं मांगा जाता तथा त्वरित रीति में न्यायालयों के बाहर वाणिज्यिक विवादों को सुलझाने के लिए पक्षकारों को अवसर प्रदान किया जाता है, बाहर निकलने के विकल्प के साथ बाध्यकारी संस्थित करने से पूर्व मध्यकता समझौता (पीआईएमएस) प्रक्रिया का उपबंध करता है । इससे

वाणिज्यिक न्यायालयों में विवाद से बचने और मामलों के इकठ्ठा होने में कमी हुई है ।

vi. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 समयबद्ध रीति में विचारण और तर्क-वितर्क को पूर्ण करने के लिए (पूर्व विचारण बैठक) मामला प्रबन्धन सुनवाई आयोजित करने की आज्ञा देता है । मामला प्रबन्धन सुनवाई को सफलतापूर्वक संस्थापित और सीआईएस 3.2 साफ्टवेयर के साथ एकीकृत किया गया है । मामला प्रबन्धन सुनवाई प्रणाली (सीआईएस) साफ्टवेयर का उपयोग करके मानवीय हस्तक्षेप के बिना वाणिज्यिक मामलों का स्वचालित और अक्रमिक आबंटन चयनित समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों में कार्यान्वित किया गया है जिसने न्यायिक पारदर्शिता और न्यायालय स्वचालन को बढ़ावा दिया है । उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने सीआईएस साफ्टवेयर में कलर बैडिंग की सुविधा का सृजन करके तीन आस्थगन नियम का अनुपालन सुनिश्चित किया है । कलर किसी मामले में स्थगनों की संख्या के संबंध में सूचना प्रदान करते हैं और त्वरित निर्णय करने को सुकर बनाते हैं । अधिकतर वाणिज्यिक न्यायालयों में विधिक दस्तावेज फाइल करने में लिए गए समय को घटाने के लिए ई-फाइलिंग को भी प्रचालित किया गया है । एक साफ्टवेयर पैच विकसित किया गया है और वर्तमान में कुछ वाणिज्यिक न्यायालयों द्वारा वाणिज्यिक विवादों में आन-लाईन समन भेजने के लिए उपयोग किया जा रहा है, जो पक्षकारों को समन भेजने में देरी को कम करता है । न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं के लिए इलैक्ट्रानिक मामला प्रबंधन यंत्र को एक एकल सीआईएस साफ्टवेयर में एकीकृत कर दिया गया है, जिसने न्यायिक उत्पादकता को बढ़ाया है तथा न्याय परिदान प्रणाली को अधिक पहुंच योग्य, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाया है । वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए समर्पित वेबसाइट आरम्भ की गई हैं ।

****

उपाबंध

कारबार करने में सुगमता का संवर्धन करने के लिए वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के संबंध में तारीख 17.03.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1871 के भाग क से ङ के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

पिछले 3 वर्ष में भारत में लम्बित वाणिज्यिक विवाद :

वर्ष	वाणिज्यिक अपील प्रभाग	वाणिज्यिक प्रभाग	वाणिज्यिक न्यायालय (जिला न्यायाधीश स्तर से निम्न)	वाणिज्यिक न्यायालय (जिला न्यायाधीश स्तर)	वाणिज्यिक अपील न्यायालय (जिला न्यायाधीश स्तर)
2019	1458	9739	17375	29048	348
2020	2037	11742	22936	70007	378
2021 (30.06.2021 तक)	2768	12316	28544	91248	501

स्रोत : विधि कार्य विभाग